सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

**निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 52/2013**

1. यासीन खां पुत्र श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) के कायम मुकाम
   - 1.1 जैना बीबी पत्नी श्री यासीन खां
   - 1.2 समीरा बीबी पुत्री श्री यासीन खां
   - 1.3 इसराईल खां पुत्र श्री यासीन खां
   - 1.4 नजीरा बीबी पुत्री श्री यासीन खां
   - 1.5 मोहम्मद नवाज पुत्र श्री यासीन खां

   } जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

**निगरानीकर्ता**

**बनाम**

1. नूरनबी खां
2. अब्दुल हनीफ खां
3. अब्दुल मजीद खां
4. सफीक खां

} पिसरान श्री मौलवी शेर मोहम्मद पुत्र श्री असमान खां जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5. अनायत बीबी जोजा श्री मौलवी शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. ग्राम पंचायत अलीपुरा जरिये सरंपच ग्राम पंचायत तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
7. ग्राम पंचायत नूरपुरा जरिये सरंपच ग्राम पंचायत तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

**गैरनिगरानीकर्त्ता**

**निगरानी विरूद्ध आदेश बिना तारीख भूखण्ड संख्या सी–30**

उपस्थित : 1. श्री काशीराम रणवां, अधिवक्ता, **निगरानीकर्ता**
2. श्री ओम प्रकाश बतरा, अधिवक्ता **गैर निगरानीकर्त्तागण**

आदेश दिनांक

प्रस्तुत निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्त्ता नूरपुरा ढाणी का वांशिदा है। नई आबादी नूरपुरा ग्राम पंचायत अलीपुरा के क्षेत्राधिकार में स्थित है। वर्तमान में नुरपुरा स्वयं ग्राम पंचायत है। निगरानीकर्त्ता ने मौजा नुरपुरा का अहाता संख्या सी–30 ग्राम पंचायत अलीपुरा से अपने हक में खरीद के आधार पर अलॉट करवाया था। और इसके पट्टा विक्रय विलेख ग्राम पंचायत अलीपुरा के तत्कालीन

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सरपंच श्री चिमनलाल ने अपने व गवाहान् के हस्ताक्षर कर जारी कर निगरानीकर्त्ता को दिनांक 05.06.1970 को सुपुर्द कर दिया था। विक्रय विलेख दिनांक 05.06.1970 बहक निगरानीकर्त्ता इस भूखण्ड संख्या सी–30 पर निगरानीकर्त्ता काबिज हो गया था और आज भी निगरानीकर्त्ता इस भूखण्ड संख्या सी–30 पर निगरानीकर्त्ता काबिज है। ग्राम पंचायत द्वारा इसका पट्टा गैर–निगरानीकर्त्तागण संख्या 1 ता 5 के पिता एवं पति के हक में दिनांक 05.06.1973 को जारी होना बताता है, परन्तु आज से दो दिवस पूर्व गैर–निगरानीकर्त्ता ने इस भूखण्ड पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। निगरानीकर्त्ता द्वारा इसकी आपत्ति करने पर गैर निगरानीकर्त्ता ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा उसे यह भूखण्ड उक्त शेर मोहम्मद पिता व पति निगरानीकर्त्ता को विक्रय कर रखा है परन्तु कोई विक्रय विलेख निगरानीकर्त्ता को नहीं दिखाया, नकल भी नहीं दी परन्तु इस कथन के साथ निगरानीकर्त्ता के भूखण्ड का कब्जा छोड़ने से इंकार कर रहा है। आदेश बिना तारीख व पट्टा व विक्रय विलेख बहक पिता व पति गैर निगरानीकर्त्तागण नं 1 ता 5 के पक्ष में जो दिनांक 05.06.1973 को जारी होना कहता है, खिलाफ कानून वाकेयात, इन्साफ व अनुचित, गलत व अधिकारविहीन होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश व पट्टा व विक्रय विलेख बहक गैर–निगरानीकर्त्तागण संख्या 1 ता 5 के पिता एवं पति की प्रमाणित प्रतिलिपि निगरानीकर्त्ता को ग्राम पंचायत ने अपने यहां कोई रिकॉर्ड ना होना कहते हुए नकल देने में अपनी असमर्थता बताते हुए इंकार कर दिया है।

भूखण्ड संख्या सी–30 नई आबादी नूरपुरा ढाणी निगरानीकर्त्ता को विक्रय किया जाकर इसका विक्रय विलेख दिनांक 05.06.1970 को निगरानीकर्त्ता के हक में जारी करने से यह भूखण्ड ग्राम पंचायत के पास नहीं था और ना ग्राम पंचायत भूखण्ड को विक्रय कर सकती थी, विक्रय किये गये व इसका विक्रय विलेख जारी कर देने के बाद ग्राम पंचायत इस भूखण्ड संख्या सी–30 नई आबादी नूरपुरा को पुनः गैर निगरानीकर्त्तागण संख्या 1 ता 5 के पिता एवं पति को किसी प्रकार से हस्तांतरित करने या इसका दुबार विक्रय विलेख गैर–निगरानीकर्त्तागण संख्या 1 ता 5 के पिता एवं पति के पक्ष में जारी करने में सक्षम नहीं थी। ग्राम पंचायत अलीपुरा ने नई आबादी नूरपुरा का यह भूखण्ड गैर–निगरानीकर्त्ता को कभी विक्रय नहीं किया और न कोई पट्टा गैर–निगरानीकर्त्तागण के हक में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से व सरंपच के हस्ताक्षरों से जारी किया गया। गैर–निगरानीकर्त्तागण ने तत्कालीन सरपंच श्री चिमनलाल के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी पट्टा पुरानी तारीख में निगरानीकर्त्ता के इस भूखण्ड पर काबिज होने की दुर्भावना से बनाया है जो फर्जकारी के आधार पर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सिविल न्यायालय ने निगरानीकर्त्ता का विक्रय विलेख दिनांक 05.06.1970 को जारी होना मानकर गैर–निगरानीकर्त्तागण को दिनांक 05.06.1973 को विक्रय विलेख निराधार व बिना अधिकार मानकर दावा दिनांक 28.09.2013 को खारिज कर दिया था।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गैर–निगरानीकर्त्तागण ने आज तक कभी भी इस फर्जकारी से बनाये गये विक्रय विलेख का कोई जिक्र किसी से नहीं किया। निगरानीकर्त्ता अब जब अपने इस भूखण्ड में नव निर्माण करने लगा तब गैर–निगरानीकर्त्ताण ने फर्जी विलेख का हवाला देकर यह भूखण्ड गैर–निगरानीकर्त्तागण को विक्रय करने व विक्रय विलेख उसके पक्ष में जारी करने का, उसके पक्ष में जारी है, का कहकर विवाद खड़ा कर दिया, परन्तु गैर–निगरानीकर्त्ता को पूछताछ व तलाश से गैर–निगरानीकर्त्ता को नहीं दिखाया। नई आबादी नूरपुरा के भूखण्ड संख्या सी–30 को गैर–निगरानीकर्त्तागण संख्या 1 ता 5 के पिता एवं पति मौलवी शेर मोहम्मद के पक्ष ग्राम पंचायत अलीपुरा द्वारा जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 05.06.1973 व इसके जारी करने के आदेश व प्रस्ताव को निरस्त करने का निवेदन किया है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। रिकॉर्ड तलब करने पर, सचिव ग्राम पंचायत, अलीपुरा/नूरपूरा ने रिकॉर्ड उनकी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया।

बहस सुनी गई।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि नई आबादी मौजा नूरपुरा का भूखण्ड संख्या सी–30 का पट्टा दिनांक 05.06.1970 को निगरानीकर्त्ता यासीन खां के नाम जारी किया गया था एवं उसी भूखण्ड संख्या सी–30 का पट्टा दिनांक 05.06.1973 को ही गैर–निगरानीकर्त्ता मौलवी शेर मोहम्मद के नाम जारी किया है, जो कि फर्जी, कानून के खिलाफ, अनुचित व अधिकारविहीन होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में आरआरडी 1995 के पृष्ठ संख्या 617 से 619 एवं 2010 DNJ[SC] के पृष्ठ संख्या 527 से 530 की नजीरें पेश की।

गैर निगरानीकर्त्तागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि नई आबादी मौजा नूरपुरा के भूखण्ड संख्या सी–30 का पट्टा जरिये नीलामी 80/– रूपये की बोली उच्चतम पर प्रतिफल राशि लेकर दिनांक 19.04.1968 को गैर निगरानीकर्त्ता श्री शेर मोहम्मद के नाम जारी किया गया। पुनः दिनांक 05.06.1970 को यासीन खां के नाम से एवं दिनांक 05.06.1973 को पुनः मौलवी शेर मोहम्मद के नाम जारी किया है। जिसके तर्क में गैर निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने पूर्व में 19.04.1968 एवं 05.06.1973 को जारी पट्टा की प्रति फार्म नं. 03 के साथ पेश की हुई है, जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख अवलोकन से पाया गया कि भूखण्ड संख्या सी–30 दिनांक 05.06.1970 को निगरानीकर्त्ता यासीन खां को अलॉट किया गया था, जबकि उसी भूखण्ड संख्या सी–30 को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.04.1968 एवं पुनः 05.06.1973 को गैर निगरानीकर्त्ता को अलॉट कर दिया था। पत्रावली में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

को मध्यनजर रखते हुए ग्राम पंचायत को भूखण्ड संख्या सी–30, जो कि गैर निगरानीकर्त्ता को दिनांक 19.04.1968 को अलॉट कर दिया तो उसे पुनः दिनांक 05.06.1970 को निगरानीकर्त्ता को अलॉट करने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा पुनः पट्टा अलॉट करने में भारी त्रुटि की गई है। ऐसे विधि विरूद्ध जारी दोहरा पट्टा दिनांक 05.06.1970 एवं 05.06.1973 को क्रमशः यासीन खां एवं मौलवी शेर मोहम्मद के नाम विधि विरूद्ध जारी किया है, उसे बहाल रखा जाना न्यायसंगत नही है। **इस न्यायालय में निर्णित निगरानी पंचायत प्रकरण संख्या 51/2013 अनवानी् यासीन खां बनाम नूरनबी खां वगैरह निगरानीकर्त्ता यासीन खां को अलॉट भूखण्ड संख्या सी–25 दिनांक 05.06.1970 एवं गैर निगरानीकर्त्ता को इसी भूखण्ड संख्या सी–25 दिनांक 05.06.1973 का पट्टा जारी होने पर, निगरानीकर्त्ता यासीन खां को ग्राम पंचायत मौजा नूरपुरा का भूखण्ड संख्या सी–25 दिनांक 05.06.1970 को जारी पट्टा का बहाल रखा गया है। सिविल न्यायालय(क.ख.), सादुलशहर के दीवानी प्रकरण संख्या 01/2011 ने भी निगरानीकर्त्ता का विक्रय विलेख दिनांक 1970 को जारी होना मानकर गैर–निगरानीकर्त्तागण को दिनांक 1973 को विक्रय विलेख निराधार व बिना अधिकार मानकर दावा दिनांक 28.09.2013 को खारिज कर दिया था।**

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत मौजा अलीपुरा पंचायत समिति सादुलशहर **भूखण्ड संख्या सी–30 का जारी किया गया पट्टा दिनांक 05.06.1970 एवं 05.06.1973 को निरस्त किया जाता है एवं भूखण्ड संख्या सी–30 का दिनांक 19.04.1968 को जारी किया गया पट्टा बहाल रखा जाता है।** आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 17.11.2017 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

**(नखतदान बारहठ)**
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।